

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक **C/601** / दो-15-28/87

जबलपुर, दिनांक **24** / 01 / 2023

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा0 क्रमांक 3(ए)19/2003/21-ब(एक), दिनांक 15.01.2010 के अंतर्गत डॉ0 श्रीमती आरती शुक्ला पाण्डेय एवं श्री अम्बुज पाण्डेय, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा एलएल0 एम0 की उपाधि धारण किये जाने के फलस्वरूप 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों की पात्रता होने पर एंट्री वेतनमान रूपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.	नाम	उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति का दिनांक	प्राप्त वेतन	वेतनवृद्धि का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	डॉ. श्रीमती आरती शुक्ला पाण्डेय (320025871)	24.05.2018	51550/-	- 24.05.2018 (03 Adv. Increment for LL.M) 24.05.2019 24.05.2020 24.05.2021 24.05.2022	51550/- 55240/- 56470/- 57700/- 58930/- 60310/-	24.05.2018 24.05.2018 01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022
2	श्री अम्बुज पाण्डेय (051018366)	24.05.2018	51550/-	- 24.05.2018 (03 Adv. Increment for LL.M) 24.05.2019 24.05.2020 24.05.2021 24.05.2022	51550/- 55240/- 56470/- 57700/- 58930/- 60310/-	24.05.2018 24.05.2018 01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

(Handwritten Signature)
23.1.23
(अजय पवार)

रजिस्ट्रार(एम)

जबलपुर, दिनांक **24** / 01 / 2023

पृ. क्रमांक **C/602** / दो-15-28/87
प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा/उज्जैन/दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम) लेखा/सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. डॉ0 श्रीमती आरती शुक्ला पाण्डेय, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री अम्बुज पाण्डेय, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:-रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

(Handwritten Signature)
23.1.23
रजिस्ट्रार(एम)